बिहार विधान सभा सचियवालय

निविदा आमंत्राण सूचना

NIT No.-09/2022

बिहार विधान सभा सचिवालय, माननीय अध्यक्ष महोदय का आवासीय कार्यालय–02 देशरत्न मार्ग, सचिव, बिहार विधान सभा के आवासीय कार्यालय 09 हार्डिंग रोड, प्रभारी सचिव के आवासीय कार्यालय 01 ऑफ माल रोड एवं बिहार विधान सभा के अतिथि निवास न्यू पुनाईचक, पटना स्थित आवंटित फ्लैट संख्या–04/06, 06/84 एवं 22/84 पटना में अधिष्ठापित विन्डो ए0सी0 स्टेबलाईजर के साथ 98 अद्द, स्पीलीट ए0सी0 स्टेबलाईजर के साथ 132 अद्द, (जिसमें 117 दो वर्ष के लिए एवं 18 नया एक वर्ष के अवधि के लिए) रेफीजरेटर स्टेबलाईजर के साथ 06 अद्द एवं गीजर–16 अद्द, वाटर कूलर–13 अद्द एवं वाटर प्यूरिफायर–54 अद्द का वार्षिक संपोषण दो वर्ष के लिए ख्याति प्राप्त एवं पर्याप्त अनुभव रखने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं, प्रतिष्ठानों एवं संवेदकों से सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक–20.10.2022 को 03:00 बजे अप0 तक सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय के पदनाम से उनके कार्यालय कक्ष में यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभा प्राप्त निविदायें दिनांक–21.10.2022 को 04:00 बजे अप0 में प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा एवं इससे संबंधित शर्त्तों बिहार विधान सभा के बेवसाईट www.vidhansabha.nic.in पर देखी जा सकती है तथा इस संबंध में कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

निर्धारित शर्त्तेः–

1. निविदादाता अपनी निविदा सभी ए0सी0 रेफीजरेटर एवं गीजर का भौतिक निरीक्षण के पश्चात् समर्पित करेंगे।
2. निविदा के साथ पफर्म / प्रतिष्ठानों का निबंध्न प्रमाण–पत्रा, जी0एस0टी0 नम्बर, अद्यतन आयकर का चुकता प्रमाण–पत्रा, कार्य अनुभव (तीन वर्षो का) एवं विद्युत कार्य करने का लाईसेंस तथा निविदा के कभर पर फर्म / प्रतिष्ठानों का पूरा नाम / दूरभाष / मोबाईल नंम्बर अंकित होना चाहिए।
3. ए0सी0 रेफीजरेटर एवं गीरज का मरम्मत (पाट्र्स, कम्प्रेशर इत्यादित का रिप्लेसमेंट सहित) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. सभी ए0सी0 रेफीजरेटर एवं गीजर का मौसमी परिचालन पूर्व उसकी सर्विसिंग (Servicing) मरम्मति अनिवार्य होगी जो उनके अधिष्ठापित स्थान पर ही की जाएगी।
5. संधारणकर्त्ता को नियमित रूप से ए0सी0 रेफीजरेटर एवं गीजर का निरीक्षण कर मरम्मति का कार्य करना होगा तथा ए0सी0 के खराब होने की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त संबंधित स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और

यथाशीघ्र खराबी दूर कर उसे चालू करना आवश्यक होगा। इस कार्य हेंतु स्थायी रूप से मैकैनिक की प्रतिनियुक्ति सभा सचिवालय में अनिवार्य होगी।

6. कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15 (पंद्रह) दिनों के पूर्व सूचना देकर कभी भी कार्यादेश को विखंडित / रद्द कर दिया जायेगा।
7. वार्षिक रख–रखा की गणना कार्यादेश निर्गत होने की तिथि एवं एकरारनामा की कार्रवाही के बाद दो वर्ष के अवधि के लिए मान्य होगी।
8. वर्णित उपकरणों के सम्पोषण के उपरान्त कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र के आधार पर 06 माह के अवधि का भुगतान किया जा सकेगा।
9. निविदा को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभी सचिवालय को सुरक्षित रहेगा।

संजय कुमार सिंह
उप निदेशक
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।